

**FORM NO.111**

फर्द अहकाम




(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

रामचन्द्र वर्गै० बनाम महेन्द्र सिंह वर्गै०

किरम मुकदमा - इजराय

मुकदमा नम्बर: 28/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
17.07.2023	<p>वकील डिकीदार श्री सरदार सिंह कुडी प्रथम एड० ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.2023 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 03.08.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>दिनेश सिंह</b>  उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर </p>	
29.04.2024	<p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिकीदार उपस्थित। प्रकरण में जारी निर्णय व डिकी की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 1247 दिनांक 26.12.2023 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फ़ैसल की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">   ( अनिल कुमार )  उपखण्ड अधिकारी  श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) </p>	<p>ऑनलाइन मिलान  किमा काग।  (मादेरा की)  पालना  ना.सं. 1247  दि. 26.12.23  बीरा की शर्त।    51R</p>

